IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 6, Issue 5, July 2026
Impact Factor: 8.2

झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले बच्चों की शैक्षिक स्थिति पर शिक्षा के अधिकार अधिनियम का प्रभाव

जयती श्रीवास्तव[1] and डॉ. तेजपाल सिंह[2]
[1]शोधार्थी [2]सह - प्राध्यापक
समाज शास्त्र - विभाग
विक्रम विश्वविद्यालय, ग्वालियर, म.प्र., भारत

सारांश: भारत में झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले बच्चे सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से वंचित समूहों में शामिल हैं। गरीबी, अस्थिर आवास, अभिभावकों की कम आय, अशिक्षा, बाल श्रम, विद्यालय से दूरी, दस्तावेजों की कमी तथा पारिवारिक असुरक्षा जैसी परिस्थितियाँ इन बच्चों की शिक्षा को प्रभावित करती हैं। भारत में शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 ने 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे के लिए निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा को कानूनी अधिकार प्रदान किया। इस अधिनियम का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित बच्चों को विद्यालयी शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना तथा प्रवेश, उपस्थिति, निरंतरता और समान अवसर सुनिश्चित करना है।

झुग्गी-झोपड़ी क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों के संदर्भ में यह अधिनियम विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इन समुदायों के बच्चे अक्सर औपचारिक विद्यालयी व्यवस्था से बाहर रह जाते हैं। प्रस्तुत समीक्षा-पत्र में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों और झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले बच्चों की शैक्षिक स्थिति पर इसके संभावित प्रभाव का विश्लेषण किया गया है। समीक्षा से स्पष्ट होता है कि अधिनियम ने विद्यालय में प्रवेश के अवसरों, निःशुल्क शिक्षा की उपलब्धता, वंचित समूहों के लिए अवसरों तथा शिक्षा के प्रति जागरूकता में सकारात्मक परिवर्तन को बढ़ावा दिया है। फिर भी केवल कानूनी अधिकार उपलब्ध कराना पर्याप्त नहीं है। विद्यालयी गुणवत्ता, नियमित उपस्थिति, सीखने के परिणाम, परिवार की आर्थिक स्थिति, बाल श्रम, प्रवासी परिवारों की गतिशीलता तथा विद्यालयों में सामाजिक समावेशन जैसी समस्याएँ अभी भी महत्वपूर्ण चुनौतियाँ हैं।

मुख्य शब्द: शिक्षा का अधिकार अधिनियम, झुग्गी-झोपड़ी के बच्चे, सामाजिक वंचना, विद्यालयी नामांकन, शैक्षिक समानता, समावेशी शिक्षा।

I. परिचय

शिक्षा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास तथा समाज में समान अवसरों की स्थापना का प्रमुख साधन है। भारतीय समाज में आर्थिक असमानता और सामाजिक वंचना के कारण सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर नहीं मिल पाते। झुग्गी-झोपड़ी क्षेत्रों में रहने वाले बच्चे इस समस्या का विशेष रूप से सामना करते हैं। इन परिवारों की आय सामान्यतः अस्थिर होती है और कई परिवार अस्थायी रोजगार, दैनिक मजदूरी या छोटे अनौपचारिक कार्यों पर निर्भर रहते हैं। ऐसी परिस्थितियों में बच्चों की शिक्षा को परिवार की आर्थिक आवश्यकताओं के सामने कम प्राथमिकता मिल सकती है।

कुछ बच्चों को घरेलू कार्यों, छोटे-मोटे रोजगार या परिवार की देखभाल में भी योगदान देना पड़ता है। इसके अतिरिक्त, बार-बार स्थान परिवर्तन, विद्यालयी दस्तावेजों की समस्या, भाषा संबंधी कठिनाइयाँ और अभिभावकों की शिक्षा के प्रति सीमित जागरूकता भी विद्यालयी भागीदारी को प्रभावित कर सकती हैं। इसी संदर्भ में शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 एक महत्वपूर्ण सामाजिक और शैक्षिक हस्तक्षेप के रूप में सामने आता है। अधिनियम ने शिक्षा को केवल सरकारी योजना न मानकर बच्चों के मौलिक अधिकार से जोड़ा और राज्य पर निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी निर्धारित की। इसलिए झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले बच्चों की शैक्षिक स्थिति को समझने के लिए शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रभाव का अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण है।

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 6, Issue 5, July 2026 Impact Factor: 8.2

II. झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले बच्चों की शैक्षिक स्थिति

झुग्गी-झोपड़ी क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों की शैक्षिक स्थिति अनेक सामाजिक और आर्थिक कारकों से प्रभावित होती है। गरीबी इस समस्या का सबसे महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि सीमित पारिवारिक आय के कारण परिवार भोजन, आवास और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को प्राथमिकता देते हैं। यद्यपि सरकारी विद्यालयों में शिक्षा निःशुल्क होती है, फिर भी विद्यालय आने-जाने का खर्च, पुस्तकें, वर्दी, जूते, स्टेशनरी और अन्य अप्रत्यक्ष खर्च गरीब परिवारों के लिए कठिनाई पैदा कर सकते हैं। कई परिवार रोजगार की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, जिससे बच्चों की शिक्षा में निरंतरता प्रभावित होती है।

बाल श्रम भी विद्यालयी भागीदारी के लिए महत्वपूर्ण बाधा है। कुछ बच्चे परिवार की आय में सहयोग करने के लिए काम करते हैं और परिणामस्वरूप विद्यालय में नियमित उपस्थिति नहीं दे पाते। इसी प्रकार, अभिभावकों की अशिक्षा या सीमित शैक्षिक अनुभव के कारण वे बच्चों की पढ़ाई में अपेक्षित सहयोग नहीं दे पाते। इन परिस्थितियों के कारण केवल विद्यालय में नामांकन होना बच्चों की वास्तविक शैक्षिक प्रगति का पर्याप्त संकेतक नहीं माना जा सकता। नियमित उपस्थिति, कक्षा में सहभागिता, सीखने की उपलब्धि, विद्यालय में टिके रहना और आगे की शिक्षा के अवसर भी समान रूप से महत्वपूर्ण हैं।

III शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 और उसका महत्व

शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 का मूल उद्देश्य 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा सुनिश्चित करना है। अधिनियम ने शिक्षा तक पहुँच में आर्थिक और सामाजिक बाधाओं को कम करने के लिए अनेक प्रावधान किए। इसमें पड़ोस के विद्यालय तक पहुँच, निःशुल्क शिक्षा, आयु-उपयुक्त कक्षा में प्रवेश, विद्यालयों में आवश्यक आधारभूत सुविधाएँ, शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात तथा बाल-अनुकूल शिक्षण वातावरण जैसे पहलुओं पर ध्यान दिया गया। सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित बच्चों के लिए अवसर उपलब्ध कराने की दृष्टि से भी अधिनियम महत्वपूर्ण है। झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले बच्चे अक्सर इसी प्रकार के वंचित समूहों से संबंधित होते हैं। इसलिए अधिनियम उनके विद्यालयी प्रवेश और शिक्षा के अधिकार को संस्थागत आधार प्रदान करता है। इसका महत्व केवल नामांकन बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य बच्चों को भेदभाव से मुक्त, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण विद्यालयी वातावरण उपलब्ध कराना भी है।

IV.विद्यालयी नामांकन और शिक्षा तक पहुँच पर प्रभाव

शिक्षा के अधिकार अधिनियम का एक प्रमुख सकारात्मक प्रभाव बच्चों के विद्यालयी नामांकन के अवसरों का विस्तार माना जा सकता है। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार ने गरीब परिवारों के बच्चों के लिए औपचारिक विद्यालयी व्यवस्था में प्रवेश को अधिक सुलभ बनाने में योगदान दिया। झुग्गी-झोपड़ी क्षेत्रों में रहने वाले अनेक परिवारों के लिए सरकारी विद्यालय शिक्षा प्राप्त करने का प्रमुख माध्यम हैं। अधिनियम ने यह सिद्धांत मजबूत किया कि आर्थिक कठिनाई बच्चे को शिक्षा से वंचित करने का आधार नहीं हो सकती। आयु-उपयुक्त कक्षा में प्रवेश और विद्यालयी शिक्षा तक पहुँच के प्रावधान उन बच्चों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं जिन्होंने किसी कारण से समय पर विद्यालय में प्रवेश नहीं लिया। इस प्रकार अधिनियम ने शिक्षा से बाहर रहने वाले बच्चों को विद्यालयी व्यवस्था में शामिल करने की दिशा में महत्वपूर्ण आधार प्रदान किया। हालांकि वास्तविक प्रभाव क्षेत्र, विद्यालय की उपलब्धता, स्थानीय प्रशासन की कार्यक्षमता और परिवारों की सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार अलग-अलग हो सकता है।

विद्यालय में निरंतरता और ड्रॉपआउट की समस्या

नामांकन के बाद बच्चों को विद्यालय में बनाए रखना झुग्गी-झोपड़ी क्षेत्रों में एक बड़ी चुनौती है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम ने शिक्षा को अधिकार के रूप में स्थापित करके बच्चों की विद्यालयी निरंतरता के लिए मजबूत कानूनी आधार प्रदान किया, लेकिन गरीबी जैसी संरचनात्मक समस्याएँ अभी भी बच्चों की शिक्षा को प्रभावित करती हैं। यदि परिवार का रोजगार अस्थिर है या उसे किसी दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है, तो बच्चा विद्यालय छोड़ सकता है। इसी प्रकार, बाल श्रम, पारिवारिक जिम्मेदारियाँ और विद्यालय में सीखने में कठिनाई भी ड्रॉपआउट को बढ़ा सकती हैं। इसलिए अधिनियम का प्रभाव केवल विद्यालय में प्रवेश के आँकड़ों से नहीं बल्कि बच्चों की नियमित उपस्थिति और शिक्षा पूरी करने की क्षमता से भी मापा जाना चाहिए। झुग्गी-झोपड़ी क्षेत्रों में विद्यालयों, स्थानीय प्रशासन और समुदाय के बीच निरंतर समन्वय बच्चों की विद्यालयी निरंतरता को मजबूत कर सकता है।

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 6, Issue 5, July 2026 Impact Factor: 8.2

V. शैक्षिक समानता और सामाजिक समावेशन

शिक्षा के अधिकार अधिनियम का महत्वपूर्ण उद्देश्य शिक्षा में समानता और सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देना है। झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले बच्चे अक्सर समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से आते हैं और उन्हें विद्यालय में अन्य बच्चों के समान अवसर प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। निःशुल्क शिक्षा, भेदभाव रहित वातावरण और वंचित बच्चों के लिए विशेष प्रावधान सामाजिक दूरी को कम करने में सहायता कर सकते हैं। विद्यालय बच्चों को केवल पढ़ने-लिखने का अवसर ही नहीं देता, बल्कि सामाजिक सहभागिता, आत्मविश्वास, सहयोग और नागरिक चेतना के विकास का भी माध्यम बनता है। इस दृष्टि से शिक्षा का अधिकार अधिनियम झुग्गी-झोपड़ी के बच्चों को मुख्यधारा के सामाजिक जीवन से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर भी वास्तविक समावेशन तभी संभव है जब विद्यालयों में आर्थिक स्थिति, भाषा, सामाजिक पृष्ठभूमि या पारिवारिक स्थिति के आधार पर बच्चों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव न हो।

VI. गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की चुनौती

शिक्षा के अधिकार का प्रभाव केवल विद्यालय तक पहुँच से निर्धारित नहीं किया जा सकता; शिक्षा की गुणवत्ता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। झुग्गी-झोपड़ी के बच्चों के लिए विद्यालय में प्रवेश के बाद सीखने के स्तर को बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। कई बच्चों को घर पर अध्ययन के लिए पर्याप्त स्थान, प्रकाश, अध्ययन सामग्री या अभिभावकीय सहयोग उपलब्ध नहीं होता। परिणामस्वरूप वे विद्यालय में उपस्थित होने के बावजूद सीखने में अपेक्षित प्रगति नहीं कर पाते। विद्यालयों में शिक्षक उपलब्धता, कक्षा का आकार, शिक्षण सामग्री, डिजिटल संसाधन, पुस्तकालय और बाल-अनुकूल वातावरण जैसे कारक भी सीखने के परिणामों को प्रभावित करते हैं। इसलिए शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रभाव का वास्तविक मूल्यांकन करते समय नामांकन के साथ-साथ सीखने की उपलब्धि, भाषा और गणितीय क्षमता, कक्षा सहभागिता तथा आगे की शिक्षा में संक्रमण को भी शामिल करना आवश्यक है।

VII. अभिभावकों और समुदाय की भूमिका

झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले बच्चों की शिक्षा में परिवार और समुदाय की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम ने अभिभावकों और समुदाय की भागीदारी के लिए विद्यालय प्रबंधन समितियों जैसे संस्थागत माध्यमों को महत्व दिया है। यदि अभिभावक विद्यालय की गतिविधियों, बच्चों की उपस्थिति और शैक्षिक प्रगति से जुड़े रहते हैं, तो बच्चों की विद्यालयी निरंतरता मजबूत हो सकती है। समुदाय में शिक्षा के अधिकार, सरकारी सुविधाओं और विद्यालयी प्रक्रियाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाना भी आवश्यक है। विशेष रूप से ऐसे परिवारों में जहाँ अभिभावक स्वयं अधिक शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके हैं, विद्यालय और समुदाय को मिलकर बच्चों के लिए सकारात्मक शैक्षिक वातावरण तैयार करना चाहिए। इससे शिक्षा को परिवार की दीर्घकालिक सामाजिक और आर्थिक उन्नति से जोड़ने में सहायता मिल सकती है।

VIII. प्रमुख चुनौतियाँ

समीक्षा से यह स्पष्ट होता है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के बावजूद झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले बच्चों के सामने अनेक चुनौतियाँ बनी हुई हैं। इनमें गरीबी, बाल श्रम, प्रवास, अनियमित उपस्थिति, विद्यालय से दूरी, दस्तावेजों की समस्या, पारिवारिक अस्थिरता, अभिभावकीय अशिक्षा, विद्यालयी संसाधनों की कमी और सीखने में पिछड़ना प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त, केवल कानून बनाने से सामाजिक दृष्टिकोण में तुरंत परिवर्तन नहीं आता। कुछ परिवारों में बालिका शिक्षा, नियमित विद्यालयी उपस्थिति और उच्च शिक्षा के प्रति सीमित जागरूकता भी समस्या बन सकती है। इसलिए कानून के प्रभाव को मजबूत करने के लिए प्रशासनिक क्रियान्वयन, सामाजिक जागरूकता और विद्यालयी गुणवत्ता में एक साथ सुधार आवश्यक है।

निष्कर्ष

निष्कर्षतः, शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 ने झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले बच्चों की शिक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी और सामाजिक आधार प्रदान किया है। अधिनियम ने शिक्षा को अधिकार के रूप में स्थापित करते हुए गरीब और वंचित परिवारों के बच्चों के विद्यालयी प्रवेश तथा शिक्षा तक पहुँच को मजबूत करने में योगदान दिया है। इसके माध्यम से निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, समान

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 6, Issue 5, July 2026 Impact Factor: 8.2

अवसर और सामाजिक समावेशन की अवधारणाओं को संस्थागत समर्थन मिला है। फिर भी झुग्गी-झोपड़ी के बच्चों की वास्तविक शैक्षिक स्थिति में स्थायी सुधार के लिए केवल नामांकन पर्याप्त नहीं है।

बच्चों की नियमित उपस्थिति, विद्यालय में निरंतरता, सीखने के परिणाम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, पोषण, सुरक्षित वातावरण, अभिभावकीय सहभागिता और सामाजिक भेदभाव में कमी पर समान रूप से ध्यान देना आवश्यक है। विशेष रूप से प्रवासी और अत्यधिक गरीब परिवारों के बच्चों के लिए लचीली तथा समावेशी शैक्षिक व्यवस्था विकसित की जानी चाहिए। अतः शिक्षा के अधिकार अधिनियम को प्रभावी बनाने के लिए कानून के प्रावधानों के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर विद्यालय, परिवार, समुदाय और प्रशासन के बीच मजबूत समन्वय आवश्यक है। भविष्य के शोध में विभिन्न शहरों के झुग्गी-झोपड़ी क्षेत्रों में बच्चों के नामांकन, उपस्थिति, ड्रॉपआउट, सीखने के स्तर और सामाजिक समावेशन की तुलनात्मक स्थिति का अध्ययन किया जा सकता है।

संदर्भ सूची

1. दत्ता, आर., डे, जे., और दत्ता, एस. (2022). शहरी झुग्गी-बस्तियों में वंचित बच्चों का प्राथमिक शिक्षा का अधिकार: संदर्भ और चिंताएँ। Voices of Teachers and Teacher Educators, 11(2), 23–35.
2. सिंह, आर. (2013). बच्चों को स्कूल जाने से रोकने वाले कारक: दिल्ली की झुग्गी-बस्तियों के परिवारों का एक अध्ययन। International Journal of Educational Development, 33(4), 348–357.
3. सोनी, आर. बी. एल. (2015). केरल में वंचित बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009 के कार्यान्वयन की स्थिति। Journal of Indian Education, 41(2), 21–41.
4. चेरुवालाथ, आर. (2015). क्या बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम वास्तव में भारत में गरीब बच्चों के लिए फायदेमंद है? सार्वजनिक गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में गरीब बच्चों के प्रवेश के विशेष संदर्भ में एक विश्लेषण। Education 3–13, 43(6), 621–629.
5. मालवणकर, ए. (2018). प्रारंभिक स्कूली शिक्षा और शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009। Sociological Bulletin, 67(2), 169–184.
6. कुमार, ए., शुक्ला, एस. के., पानमेई, एम., और नारायण, वी. (2019). शिक्षा का अधिकार अधिनियम: सार्वभौमिकरण या गहरी पैठ वाली बेदखली? Contemporary Voice of Dalit, 5(1), 1–10.
7. मुरलीधरन, के., और प्रकाश, एन. (2017). साइकिल से स्कूल जाना: भारत में लड़कियों के लिए माध्यमिक स्कूल में नामांकन बढ़ाना। American Economic Journal: Applied Economics, 9(3), 321–350.
8. श्रीवास्तव, पी., और नोरोन्हा, सी. (2016). मुफ्त और बाधा-मुक्त पहुँच का भ्रम: भारत का शिक्षा का अधिकार अधिनियम—निजी स्कूली शिक्षा की लागत और परिवारों के अनुभव। Oxford Review of Education, 42(5), 561–578. एल्कॉट, बी., और रोज़, पी. (2015). स्कूल और 25 प्रतिशत: भारत में शिक्षा के अधिकार अधिनियम का कार्यान्वयन। विकास और परिवर्तन, 46(5), 1019–1042.
9. मेहरोत्रा, एस. (2012). भारत में शिक्षा की चुनौती: क्या जनसांख्यिकीयकरण और सार्वभौमीकरण सह-अस्तित्व में रह सकते हैं? अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक विकास जर्नल, 32(2), 177–184.
10. सिंह, ए., और मुखर्जी, पी. (2020). क्या स्कूलों में सामाजिक एकीकरण अनिवार्य किया जा सकता है: भारत में शिक्षा के अधिकार अधिनियम से साक्ष्य। अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक विकास जर्नल, 77, 102228.
11. मुखोपाध्याय, आर., और सिन्हा, बी. (2012). बच्चे के शिक्षा के अधिकार पर भारतीय परिप्रेक्ष्य। प्रोसीडिया - सामाजिक और व्यवहार विज्ञान, 69, 367–376.
12. श्रीवास्तव, पी. (2013). कम शुल्क वाली निजी शिक्षा: विकासशील देशों से मुद्दे और प्रमाण। तुलनात्मक शिक्षा समीक्षा, 57(1), 1–21।
13. थेक्कुमकारा, वी. आर., और जॉर्ज, जे. (2022)। क्या मुफ्त शिक्षा प्रारंभिक विद्यालय छोड़ने वालों की संख्या कम करती है? भारत में एक विधायी सुधार से प्रमाण। आर्थिक विश्लेषण और नीति, 75, 1–15।

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 6, Issue 5, July 2026
Impact Factor: 8.2

14. मलिक, आर., और साहू, एस. (2021)। भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 एक दशक बाद: उपलब्धियों का मूल्यांकन और अधूरे वादों की पड़ताल। शिक्षा 3–13, 51(1), 1–15।